



138

श्रीमान माननीय म.प्र.राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी- 3518/2018/धार/भू.रा

प्र.क्र. /2018 निगरानी

शशिकला उर्फ दिप्ती पिता स्व. श्री डॉ. मुरलीधर मोतीवाले

उम्र- 50 वर्ष, धंधा- गृह कार्य

पता- वार्ड क्रं. 3, जहाजमहल रोड़

माण्डव जिला धार म.प्र.

-प्रार्थी

श्री. राजस्व मण्डल ग्वालियर  
डॉ. 15-5-18  
प्रतिपक्षी

15/5

1. म.प्र.शासन तर्फे जिलाधीश महोदय,  
कलेक्टर कार्यालय जिला धार म.प्र.
2. श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय,  
पुलिस अधिक्षक कार्यालय, धार म.प्र.
3. श्रीमान थाना प्रभारी महोदय,  
पुलिस थाना माण्डव जिला धार म.प्र.

—प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

विरुद्ध आदेश 26/02/2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त इन्दौर सम्भाग, इन्दौर


प्र.क्रं. 435/अपील / 2018



# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3518/2018/धार/भू0रा0

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-6-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0कानूनगो द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-2-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को प्रश्नाधीन शासकीय भूमि का आवंटन के संबंध में सचिव ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है तथा प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होकर शासन के शासकीय विभाग को आवासीय प्रयोजन हेतु कलेक्टर जिला धार द्वारा पारित आदेश दि. 24-12-1998 में आवंटित गई है। वर्ष 1998 के आदेश के विरुद्ध 19 वर्ष पश्चात् समय बाधित अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा अपील अग्राह्य करने में विधि अनुकूल कार्यवाही की गई है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>